

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक - प.17(9) प्राशि/आयो./आंगनबाडी

जयपुर दिनांक - 31/1/2018

- | | |
|--|---|
| 1. आयुक्त,
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा, परिषद,
जयपुर। | 2. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर। |
| 3. निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर। | 4. उपनिदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
समस्त संभाग। |
| 5. उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त जिला। | 6. जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा समस्त
जिला। |
| 7. बाल विकास परियोजना अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त ब्लॉक, राजस्थान। | 8. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त ब्लॉक, राजस्थान। |

विषय - आंगनबाडी केन्द्रों पर संचालित पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी संचालन हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कक्षा 1 से 5 के राजकीय प्राथमिक विद्यालय द्वारा पर्यवेक्षण हेतु दिशा-निर्देश।

राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित आंगनबाडी केन्द्रों पर प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख (ECCE) कार्यक्रम के तहत 3 से 6 साल के बालक-बालिकाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10-12 के समन्वित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से तथा कक्षा 1 से 8 के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से उनके आस-पास स्थित आंगनबाडी केन्द्रों में प्रदान की जा रही पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सृष्ट करने की दृष्टि से दिशा-निर्देश शिक्षा ग्रुप-1 विभाग द्वारा दिनांक 8.8.2016 एवं प्रारम्भिक शिक्षा के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.4 2017 द्वारा जारी किये गये थे।

इसी क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित कक्षा 1 से 5 के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से आस-पास आंगनबाडी केन्द्रों में प्रदान की जा रही पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सृष्ट करने की दृष्टि से संलग्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। इन दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

शासन सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग

शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग
31/1/18

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया महिला एवं बाल विकास, राज्यमंत्री महोदया (स्वतंत्र प्रभार)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
8. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर।
10. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
10. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी।
11. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
12. रक्षित पत्रावली

(ज्योति चौहान)
शासन उप सचिव

